

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 अप्रैल 2021 — चैत्र 19, शक 1943

परिवहन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 अप्रैल 2021

अधिसूचना

क्रमांक आर- 591/472/आठ-परि/2020. — कोरोना वायरस (कोविड-19) के महामारी के संक्रमण के परिणामस्वरूप, लॉकडाउन से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण, यात्री बसों के संचालन में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यात्री वाहनों से संबंधित मोटरयान कर के भुगतान में निम्नानुसार छूट प्रदान करती है :-

- (क) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 11 एवं 12 में विनिर्दिष्ट निर्बंधनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए, माह जुलाई, 2021 तक की, कालावधि के लिए, अग्रिम में देय मासिक कर को जमा करने में छूट.
(ख) 31 जुलाई, 2021 के पश्चात्, अग्रिम मासिक कर जमा करने संबंधी प्रावधान, पूर्वानुसार स्वतः ही प्रभावशील हो जावेगा.
- यह अधिसूचना भूतलक्षी प्रभाव से 01 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 9th April 2021

NOTIFICATION

No. R-591/472/VIII-Trans/2020. — In view of the difficulties faced in the operation of passenger buses, as a result of epidemic of corona virus (Covid-19) and due to difficult circumstances arising from lockdown, the State Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Chhattisgarh Motor Vehicle Tax Act, 1991 (No. 25 of 1991), hereby, exempts, in payment of motor vehicle tax in respect of passenger vehicles as follows-

1. (a) Exemption in Submission of advance monthly tax payable for a period of July, 2021, subject to the restrictions and conditions specified under rule 11 and 12 of the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994.
(b) After 31st July 2021, the provision for depositing monthly tax in advance shall automatically become effective.
2. This notification shall come into force with retrospective effect from 01st April 2021.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAMALPREET SINGH, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 9 अप्रैल 2021

अधिसूचना

क्रमांक आर 592/472/आठ-परि/2020. — कोरोना वायरस (कोविड-19) की महामारी की परिस्थितियां निर्मित हो जाने के परिणामस्वरूप, बसों के नियमित रूप से संचालन नहीं हो रहा है, अतएव, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,

नियम 77 के उप-नियम (2) के परन्तुक में, अंक एवं शब्द “31 मार्च 2021” के स्थान पर, अंक एवं शब्द “31 जुलाई 2021” प्रतिस्थापित किया जाये.

यह संशोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 9th April 2021

NOTIFICATION

F. No. R 592/472/trans-VIII/2020. — As a result of Corona Virus (Covid-19), Pandemic circumstances, buses were not conducting regularly, therefore, In exercise of the powers conferred by Section 65 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, namely:-

AMENDMENT

In the Said rules:-

In proviso of sub-rule (2) of rule 77, for the figures and words “31st march of 2021”, the figures and words “31st July of 2021” shall be substituted.

This amendment shall come into force with effect from the date of 01st April, 2021.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAMALPREET SINGH, Secretary.